रजिस्ट्री सं. डी.एल.–33002/99

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

REGISTERED No. D.L.-33002/99

दिल्ली राजपत्र

सत्यमेव जयते

Delhi Gazette

असाधारण
EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 376]	दिल्ली, सोमवार, अक्तूबर 16, 2017/आश्विन 24, 1939	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 286
No. 376]	DELHI, MONDAY, OCTOBER 16, 2017/ASVINA 24, 1939	[N.C.T.D. No. 286

भाग—IV
PART—IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार

GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 13 अक्तूबर, 2017

फा. सं. 14/155/2011/स्वा. एवं परि. कल्याण/7818.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की दिनांक 24 सितम्बर, 1968 के कार्यालय ज्ञापन सं0 24/78/68–डीएच (एस) के साथ पठित भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा पंचकर्म **विशेषज्ञ** के पद के लिए नियुक्ति हेतु भर्ती नियमावली संबंधी दिनांक 7.7.2005 की अधिसूचना संख्या 1/127/2001/डीआईएसएमएच/आयु0/ 1662–72 के अधिक्रमण में, ऐसे अधिक्रमण से पूर्व हुई बातों या हटाई जाने वाली बातों को छोड़कर, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, एतद्द्वारा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के अधीन आयुश निदेशालय में **पंचकर्म विशेषज्ञ** के पद की भर्ती पद्धति के लिए निम्नलिखित नियम और विनियम बनाते हैं, अर्थात् :–

1. **संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभ** :– (क) इन नियमों को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, **(पंचकर्म विशेषज्ञ)** भर्ती नियमावली, 2017 कहा जा सकेगा।

(ख) ये भासकीय राजपत्र में अपने प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

2. **पदों की संख्या, वर्गीकरण एवं वेतन बैंड + ग्रेड वेतन/वेतनमान** :– उक्त पदों की संख्या, इनका वर्गीकरण, वेतन बैंड + ग्रेड वेतन/वेतनमान इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कॉलम (2) से (4) में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।

3. **भर्ती पद्धति ।**

4. **अयोग्यता** :— ऐसा कोई भी व्यक्ति

(क) जो किसी व्यक्ति के जीवित पति/पत्नी के होते हुए विवाह करता है या विवाह का अनुबंध करता है, या

(ख) जो एक जीवित पति/पत्नी के होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह कर चुका है या विवाह अनुबंध कर चुका है।

वह उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

भार्त यह है कि यदि केन्द्र सरकार संतुश्ट है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति एवं विवाह के अन्य पक्षों पर लागू व्यक्तिगत कानून के अंतर्गत अनुमत है और इस बात से संतुश्ट हो जाने पर कि ऐसा करने के लिये **विशेष** आधार है/हैं किसी भी ऐसे उम्मीदवार को इस नियम के प्रवर्तन की छूट दे सकेगा।

5. **शिथिल करने की शक्ति** :—जहां राश्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार का यह मत हो कि ऐसा करना आवश्यक अथवा समीचीन है, तो वह कारणों को अभिलिखित करते हुए आदेश द्वारा व्यक्तियों को किसी श्रेणी या वर्ग के संबंध में इन नियमों के उपबंध में से किसी को भी शिथिल कर सकेंगे।

6. **बचावः**— इन नियमों की किसी भी बात का भारत सरकार द्वारा इस संबंध में समय—समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिक तथा अन्य विशेष वर्गों के व्यक्तियों के लिये उपबन्धित किये जाने के लिये आरक्षण अपेक्षित आयु—सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

अनुसूची

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार में पंचकर्म **विशेषज्ञ** के पद के भर्ती नियम

1.	पदनाम	:	**पंचकर्म विशेषज्ञ ग्रेड—II**
2.	पदों की संख्या	:	01* (2017) इसमें परिवर्तन कार्यभार पर निर्भर।
3.	वर्गीकरण	:	सामान्य केन्द्रीय सेवा समूह 'क' राजपत्रित , लिपिकीय
4.	वेतनमान	:	पे बैंड—3, 15600—39100/—रुपये (ग्रेड पे 6600/—रुपये) जमा एनपीए पद हेतु डीएसीपी स्कीम के अन्तर्गत वित्तीय अपग्रेडे न /पदोन्नति निम्न प्रकार होगी : I) पे बैंड —3 में (10000 —15200 रू0 के पूर्व **संशोधित** वेतनमान में सेवा सहित) ग्रेड पे 6600/— रू0 में दो वर्श की सेवा के **पश्चात विशेषज्ञ** ग्रेड—II (वरिश्ठ वेतनमान)(पे बैंड—3 में 7600/— रू0 ग्रेड पे) से **विशेषज्ञ** ग्रेड—II (कनिश्ठ वेतनमान)(पे बैंड—3 में 6600/— रू0 ग्रेड पे) में से । II) पे बैंड —3 में (12000 —16500 रू0 के पूर्व **संशोधित** वेतनमान में सेवा सहित) ग्रेड पे 6600/— रू0 में चार वर्श की सेवा के **पश्चात विशेषज्ञ** ग्रेड—I (पे बैंड—4 में 8700/— रू0 ग्रेड पे) से **विशेषज्ञ** ग्रेड—II (वरिष्ठ वेतनमान) (पे बैंड—3 में 7600/— रू0 ग्रेड पे) में से । III) पे बैंड —4 में (14300 —18300 रू0 के पूर्व **संशोधित** वेतनमान में सेवा सहित) ग्रेड पे 8700/— रू0 में सात वर्श की सेवा के **पश्चात परामर्शदाता** / एसएजी ग्रेड (पे बैंड—4 में 10000/— रू0 ग्रेड पे) से **विशेषज्ञ** ग्रेड—I (पे बैंड—4 में 8700/— रू0 ग्रेड पे) में से ।
5.	**क्या चयन पद अथवा गैर चयन पद है**	:	लागू नहीं
6.	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए आयु—सीमा	:	45 वर्श से अधिक नहीं (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी आदेशों या अनुदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों के लिये 5 वर्शों के लिए शिथिलनीय)

			टीप :–आयु–सीमा निर्धारित करने के लिए मान्य तारीख वही होगी, जो भारत में रह रहे उम्मीदवारों के आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि हो, (तथा यह असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिज़ोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू व कश्मीर राज्य की लद्दाख सब डिवीज़न, हिमाचल प्रदेश का लाहौल व स्पीति जिला तथा चंबा जिले की पांगी सब डिवीज़न व अण्डमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षदीप के उम्मीदवारों के लिए निर्धारित अंतिम तारीख नहीं है)।
7.	**सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों से अपेक्षित शैक्षिक तथा अन्य योग्यताएँ**	:	अनिवार्य : I) विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय या कोई सांविधिक बोर्ड/संकाय/ भारतीय चिकित्सा के परीक्षा निकाय से आयुर्वैदिक चिकित्सा में उपाधि तथा भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिशद् अधिनियम, 1970 की अनुसूची में सम्मिलित या समकक्ष II) विधि द्वारा स्थापित वि वविद्यालय या कोई सांविधिक बोर्ड/संकाय/ भारतीय चिकित्सा के परीक्षा निकाय से आयुर्वैदिक चिकित्सा में उपाधि तथा भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिशद् अधिनियम, 1970 की अनुसूची में सम्मिलित या समकक्ष III) भारतीय चिकित्सा के केन्द्रीय/राज्य रजिस्टर में नामांकन। IV) स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त करने के प चात् नैदानिक विशय–कायाचिकित्सा/पंचकर्म में कम से कम तीन वर्श का शिक्षण/नैदानिक अनुभव। **वांछनीयः–** I) कायाचिकित्सा/पंचकर्म में पीएचडी। II) प्रतिश्ठित पत्रिका में पुस्तकों एवं नैदानिक अनुसंधान लेखों का प्रकाशन। **टीप 1**: अन्यथा सुयोग्य उम्मीदवारों के मामले में लिखित में कारणों को अभिलेखबद्ध करते हुए योग्यताएं संघ लोक सेवा आयोग के विवेक पर शिथिलनीय है। **टीप 2**: यदि चयन की किसी अवस्था में संघ लोक सेवा आयोग के अभिमत से अनुसूचित जाति/जनजातियों के लिए आरक्षित रिक्त पदों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले इन जातियों के उम्मीदवारों के पर्याप्त संख्या में मिलने की संभावना नहीं है, तो कारणों को अभिलेखबद्ध करते हुए अनुभव संबंधी योग्यताएं संघ लोक सेवा आयोग के विवेक पर शिथिलनीय है।
8.	**क्या सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए निर्धारित शैक्षिक योग्यता एवं आयु–सीमा पदोन्नति वाले उम्मीदवारों पर भी लागू होगी।**	:	लागू नहीं
9.	**परीवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो**	:	एक वर्श
10.	**भर्ती की पद्धति सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा विभिन्न पद्धतियों से भरे जाने वाले रिक्त पदों का प्रतिशत**	:	सीधी भर्ती द्वारा
11.	**यदि पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति /आमेलन द्वारा भर्ती होनी हो तो ग्रेड जिनसे पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/ आमेलन किया जाना है**	:	लागू नहीं
12.	**यदि कोई विभागीय पदोन्नति समिति हो तो इसकी संरचना क्या है?**	:	**'क' वर्गीय विभागीय स्थायीकरण समिति :–** (1) मुख्य सचिव, राश्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार – अध्यक्ष (2) सचिव (स्वा0 एवं परि0 कल्या0), राश्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार – सदस्य (3) निदेशक (आयुश), राश्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार – सदस्य **'क' वर्गीय विभागीय पदोन्नति समिति (डीएसीपी स्कीम के अन्तर्गत)** (1) मुख्य सचिव, राश्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार – अध्यक्ष

14769/15/CRU 227/C

			(2) सचिव (स्वा0 एवं परि0 कल्या0), राश्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार – सदस्य (3) निदे ाक (आयुश), राश्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार – सदस्य
13.	वे परिस्थितियॉं जिनमें भर्ती के लिए संघ लोक सेवा आयोग का परामर्श लिया जाना है।	:	सीधी भर्ती करते समय संघ लोक सेवा आयोग से पराम ं आव यक है।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर,

सुरेन्द्र नारंग, उप–सचिव (आयुश)

HEALTH AND FAMILY WELFARE DEPARTMENT

NOTIFICATION

Delhi, the 13th October, 2017

F. No. 14/155/2011/H&FW/7818.—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India read with the Government of India, Ministry of Home Affairs O.M. No. 24/78/68-DH(S), dated the 24th September, 1968 and in supersession of the Recruitment Rules for appointment to the post of Panchkarma Specialist Notification F.No.1/127/2001/DISMH/Ay/1662-72 dated 07.07.2005 except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi, hereby makes the following rules and regulations for the method of recruitment to the post of Panchkarma Specialist in the Directorate of AYUSH, under the Health and Family Welfare Department, Government of National Capital Territory of Delhi, namely: -

1. **Short title commencement:-** I) These rules may be called the Health and Family Welfare Department (Panchkarma Specialist) Recruitment Rules 2017.

   2) They shall come into force on the date of their publication in the official Gazette.

2. **Number of posts, classification and Pay Band + Grade Pay/Pay Scale:-**The number of said posts, their classification and Pay Band + Grade Pay / scales of pay attached thereto shall be as specified in column (2) to (4) of the said Schedules.

3. **Method of Recruitment.**

4. **Disqualification :-** No person

   a. Who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living or,

   b. Who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any other person, shall be eligible for appointment to the said posts:

   Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to Relax:-** Where the Government of National Capital Territory of Delhi is of the opinion that it is necessary or expident so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving:-** Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concession required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes Ex-Servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Government of India from time to time in this regard.

SCHEDULE

Recruitment Rules for the post of Panchkarma Specialist.

Ministry of: Government of National Capital Territory of Delhi, Department of Health & Family Welfare.

Name of the Post	Number of Posts	Classification	Pay Band & Grade Pay/ Pay Scale	Whether Selection or Non-Selection Post	Age limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Panchkarma Specialist Grade-II	1 (2017) (subject to variation dependent on workload)	CCS Group 'A' Gazetted, Non-Ministerial	PB-3 Rs.15600-39100 (Grade Pay Rs.6600/-) plus NPA The financial up-gradation/ promotion under DACP Scheme for the post will be as under: I) From Specialist Grade-II (Junior Scale) (Grade Pay Rs.6600 in PB-3) to Specialist Grade-II (Senior Scale) (Grade Pay Rs.7600 in PB-3) after 2 years service rendered in the Grade Pay of Rs.6600 in PB-3 (including service rendered in the pre-revised scale of Rs.10,000-15200). II) From Specialist Grade-II (Senior Scale) (Grade Pay Rs.7600 in PB-3) to Specialist Grade-I (Grade Pay Rs.8700 in PB-4) after rendering 4 years service in Grade Pay of Rs.7600 in PB-3 (including service rendered in the pre-revised scale of Rs.12000-16500). III) From Specialist Grade-I (Grade Pay Rs.8700 in PB-4) to Consultant/SAG Grade (Grade Pay Rs.10000 in PB-4) after rendering 7 years service in Grade Pay of Rs.8700 in PB-4 (including service rendered in the pre-revised scale of Rs.14300-18300).	Not Applicable	Not exceeding 45 years (relaxable for Government Servants upto 5 years' in accordance with the instructions or order issued by the Central Government). **Note:** The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu & Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep).

Educational & other qualification required for direct recruits	Whether Age & Educational Qualification prescribed for direct recruits will apply in case of promotes	Period of probation, if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ absorption & % of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion/ deputation/ absorption grades from which promotion/ deputation/ absorption to be made	If a DPC exists what is its composition	Circumstances in which UPSC to be consulted in making recruitment
(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Essential: I) Degree in Ayurvedic	Not Applicable	1 year	By direct recruitment	Not Applicable	Group 'A' Departmental Confirmation	Consultation with UPSC necessary

Medicine from a University established by Law or a Statutory Board/ Faculty/ Examining Body of Indian Medicine or Equivalent and included in the Schedule II of Indian Medical Central Council Act, 1970. II) A Post-Graduate Degree in Ayurveda (Panchkarma/ Kaya-Chikitsa) from a University established by Law or a Statutory Board/ Faculty/ Examining Body of Indian Medicine or Equivalent and included in the Schedule II of Indian Medical Central Council Act, 1970. III) Enrolment in Central/ State register of Indian Medicine. IV) At least three years' Teaching/ Clinical experience in Clinical Subject-Kayachikitsa/ Panchkarma after obtaining the Post Graduate Degree. **Desirable:** I) Ph.D. in Kayachikitsa/ Panchkarma. II) Publications of Books and Clinical Research papers in reputed. **Journals.** **Note 1:** Qualifications are relaxable at the discretion of the UPSC, for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates otherwise well qualified. **Note 2:** The qualify-cation(s) regarding experience is/are relaxable at the discretion of the UPSC, for reasons to be recorded in writing in the case of candidates belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes if at any stage of selection the UPSC, is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities posses-					Committee: 1. Chief Secretary, Govt. of NCT of Delhi – Chairman 2. Secretary (Health & Family Welfare), Govt. of NCT of Delhi – Member 3. Director (AYUSH), Govt. of NCT of Delhi – Member Group 'A' Departmental Promotion Committee (under DACP Scheme): 1. Chief Secretary, Govt. of NCT of Delhi – Chairman 2. Secretary (Health & Family Welfare), Govt. of NCT of Delhi – Member 3. Director (AYUSH), Govt. of NCT of Delhi – Member	while making direct recruitment

sing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.						

By Order and in the Name of
the Lt. Governor of the NCT of Delhi,

SURINDER NARANG, Dy. Secy. (AYUSH)

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2017.10.24 15:20:19 +05'30'